संख्या:219/2016/2449जेएल/22-3-16-100(147)/2015

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 14 जून, 2016***

विषय: जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध 03 विचाराधीन बंदियों को अन्यत्र दूरस्थ कारागार पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-53/सामा-1(3)/मेरठ मं0/2016, दिनांक 24-05-2016 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध निम्नलिखित 03 (तीन) विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदियों को स्थानान्तरित किये जाने से पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739/2012-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ द्वारा अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी** :-

क्र	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धी की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	ईश्वर पुत्र श्री जयराम	जि0का0 मेरठ	जि0का0 सीतापुर
2	आनन्द पुत्र श्री मित्रसैन	जि0का0 मेरठ	जि0का0 बहराइच
3	अमित पुत्र श्री कंवरपाल	जि0का0 मेरठ	जि0का0 लखीमपुर खीरी

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

संख्या:219/2016/2449जेएल(1)/22-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ/सीतापुर/बहराइच/लखीमपुर खीरी।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर/बहराइच/लखीमपुर खीरी।
3. वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ/अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर/बहराइच/लखीमपुर खीरी।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in